भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1298

08.12.2025 को उत्तर के लिए

बांधवाड़ी लैंडफिल से ज़हरीले रिसाव का मामला

1298. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुरुग्राम के बांधवाड़ी लैंडफिल से लीचेट के जहरीले रिसाव, जो आसपास के क्षेत्रों में हो रहा है और जमीन के नीचे के जल को गंदा कर रहा है, का ब्यौरा क्या है और मृदा, जल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर उक्त रिसाव के कुप्रभाव के बारे में हुए अध्ययन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय करने का विचार है;

(ग) उक्त रिसाव के कारण कृषि, पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हुई कुल हानि, उसका आकलित मौद्रिक मूल्य प्रभावित व्यक्तियों को अब तक दिया गया मुआवजा तथा शेष मुआवजा वितरित किए जाने की समय अवधि कितनी है; और

(घ) लीचेट की तत्काल रोकथाम, उपचार सुविधाओं को संस्थापित करने और स्थल के वैज्ञानिक ढंग से दीर्घकालिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (एसडब्ल्यूएम), 2016 के अनुसार, स्थानीय निकायों को सभी पुराने खुले अपशिष्ट डंप स्थलों और मौजूदा संचालनरत डंप स्थलों के जैव-खनन और जैव-शोधन की क्षमता का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए अधिदेशित हैं और जहाँ भी संभव हो, स्थलों को जैव-खनन या जैव-शोधन करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों को पुराने अपशिष्ट के जैव-खनन से संबंधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के तहत एसबीएम (यू) 2.0 में केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में 10,930.12 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो नगर निगम ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके

से प्रबंधन और पुराने अपशिष्ट डंप स्थलों के सुधार के लिए अपशिष्ट संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए हैं।

नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद द्वारा निरीक्षण के दौरान सीपीसीबी को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार बांधवाड़ी में अपशिष्ट निपटान स्थल पिछले 13 वर्षों से संचालनरत है। बांधवाड़ी डंप स्थल पर प्रारंभिक अपशिष्ट मात्रा 44 लाख मीट्रिक टन (एमटी) थी, जिसकी ऊँचाई 41 मीटर थी और यह लगभग 30 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई थी। बांधवाड़ी डंप स्थल पर पुराने अपशिष्ट की जैव-खनन प्रक्रिया चल रही है और डंप स्थल के बायो-खनन किए जाने के बाद वर्तमान ऊँचाई 19 मीटर है, और कुल अपशिष्ट मात्रा लगभग 14 लाख एमटी है।

सीपीसीबी द्वारा रिसाव जल (लीचेट) नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि एकत्रित रिसाव जल (लीचेट) के भौतिक-रासायनिक मानक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक थे। गुरुग्राम नगर निगम के अनुसार, लीचेट को उच्च-घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) से पंक्तिबद्ध किए गए तालाबों में एकत्रित किया जाता है और इसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की 120 एमएलडी क्षमता वाली सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) में शोधन के लिए ले जाया जाता है। भदवारी डंप स्थल के आसपास 13 स्थानों से सीपीसीबी द्वारा एकत्रित भूजल नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि भौतिक-रासायनिक पैरामीटर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार सीमाओं के भीतर हैं।

सीपीसीबी ने पुराने अपशिष्ट (पुराने एमएसडब्ल्यू) के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत पुराने अपशिष्ट के जैव-खनन के उपबंध, जैव-शोधन और जैव-खनन की विस्तृत कार्यप्रणाली और प्रक्रिया शामिल हैं। ये दिशानिर्देश इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं कि संबंधित स्थानीय प्राधिकरण जो पुराने अपशिष्ट की जैव खनन प्रक्रिया में संलग्न हैं, वे दिशानिर्देशों में दिए गए प्रक्रियाओं का पालन करें, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं: (i) स्क्रीन किए गए अंशों की सामग्री का विश्लेषण, जैसे कि अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ), बारीक मिट्टी, इसके निपटान/उपयोग से पहले, (ii) स्क्रीन किए गए अंशों के उपयोग/निपटान के लिए योजनाओं की तैयारी, और (iii) रिसाव जल शोधन के लिए पर्याप्त प्रावधान। इसके अलावा, प्रक्रिया प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, लीचेट प्रबंधन, अग्नि और सुरक्षा नियंत्रण उपायों, प्राप्त स्थान के उपयोग आदि के अन्य पहलुओं को भी दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है।

सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को दिनांक 27.01.2021 को पुराने अपशिष्ट के जैव-खनन के संबंध में और दिनांक 26.5.2022 को डंप स्थलों पर आग की रोकथाम के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए हैं।

****